बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक..................................

सं०–08/मु०4–14/2026 ..../ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 न०–8858/2021 प्रकाश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 29.04.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में वादी श्री प्रकाश कुमार के अपील अभ्यावेदन की सुनवाई कर यह आदेश पारित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि श्री प्रकाश कुमार, तत्कालीन सहायक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, कमलपुरा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध कतिपय आरोप यथा विद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं करना, सरकारी कार्यों में रूचि नहीं रखना, उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना करना, शिक्षण कार्य करने हेतु अपने साथ अपने पुत्र को विद्यालय में ले जाकर विद्यालय कार्य करवाना, विद्यालय के प्रधानाध्यापिका से अभद्र व्यवहार करना एवं शिक्षक के आचरण के विरूद्ध कार्य करना आदि गंभीर आरोप के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक 1834 दिनांक 27.11.2014 द्वारा श्री कुमार को निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन किया गया। उक्त निलंबन आदेश में यह उल्लेखित है कि आरोपी कर्मी की चिकित्सीय जाँच मेडिकल बोर्ड से कराने हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया था। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होने का प्रमाण पत्र दिया गया था। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप एवं इन आरोपों पर जाँच पदाधिकारी द्वारा दिए गये जाँच प्रतिवेदन एवं सुनवाई में प्रस्तुत संबंधितों के पक्ष की समीक्षा के उपरांत श्री कुमार के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया। उक्त के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक 734 दिनांक 13.08.2020 द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया :–

1. श्री कुमार को संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक लगायी जाती है।

2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य राशि (शेष वेतन) देय नहीं होगा, परंतु सेवांत लाभ एवं पेंशन प्रयोजनार्थ इस अवधि की सेवा निरंतरता प्रदायी होगी, बशर्त्ते की इस अवधि में निर्धारित निलंबन के मुख्यालय में श्री कुमार निरंतर रूप से उपस्थित रहें हो।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध वादी श्री प्रकाश कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 न०–8858/2021 प्रकाश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में

10

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 29.04.2025 को पारित आदेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है :–

"5. It is made clear that in view of several SOPs issued by the Central Government, as well as, the State Government which was required to be followed during the Covid period, without taking any technical plea of delay in preferring the appeal, if the appeal has been not registered in spite of the effort taken by the petitioner immediately soon after the impugned order was passed by sending his appeal through registered post, first the Additional Chief Secretary is required to verify from his records and in case appeal has not been registered then he is required to first notice to the petitioner and request him for filing of fresh memo of appeal before him within any specified period or the petitioner in alternative may approach the Additional Chief Secretary along with memo of appeal to get it registered, if already not registered in his office.

6. The writ petition is, accordingly, disposed of.

7. Interlocutory Application(s), if any, also stands disposed of."

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अनुमोदनोपरांत निदेशालय के पत्रांक 458 दिनांक 07.04.2026 द्वारा वादी श्री प्रकाश कुमार को एक सप्ताह के अन्दर अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तय सीमा के अन्दर अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पुनः निदेशालय के पत्रांक 512 दिनांक 16.04.2026 द्वारा वादी को दिनांक 22.04.2026 तक अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया एवं पत्रांक 607 दिनांक 04.05.2026 द्वारा उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 11.05.2026 को निर्धारित की गयी। निर्धारित सुनवाई की तिथि को श्री कुमार के स्थान पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिनके द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु एक माह के समय की माँग की गयी।

एक माह व्यतीत होने के उपरांत अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निदेशालय के पत्रांक 669 दिनांक 13.05.2026 द्वारा वादी श्री कुमार को अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। पुनः अभ्यावेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में निदेशालय के पत्रांक 792 दिनांक 17.06.2026 द्वारा उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 22.06.2026 को निर्धारित की गयी। उक्त तिथि को भी वादी श्री कुमार उपस्थित नहीं हुए, जिसके आलोक में उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 06.07.2026 को पुनः निर्धारित किया गया। निर्धारित तिथि को वादी अपने अधिवक्ता के साथ भौतिक रूप से एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर V.C के माध्यम से उपस्थित हुए। सुनवाई में वादी द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपना पक्ष रखा गया। वादी के विरूद्ध गठित आरोप एवं संबंधित अभिलेखों की समीक्षा की गई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना), मुजफ्फरपुर एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पारू द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन तथा प्रधानाध्यापिका, राजकीय बुनियादी विद्यालय, कमलपुरा, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अंकित है कि श्री कुमार विद्यालय में कुछ नहीं बोलते थे, अपने साथ अपने बेटा को लेकर जाते थे एवं बेटा से पठन–पाठन का कार्य कराते थे। इस संदर्भ में वादी द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों के अलावा कोई भी नया

तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं सुनवाई में रखे गये तथ्यों के समीक्षोपरांत क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक 734 दिनांक 13.08.2020 द्वारा अधिरोपित 'संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक' के दण्ड को यथावत् रखा जाता है एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि चूँकि श्री प्रकाश कुमार की निलम्बन अवधि लगभग 05 वर्ष 08 माह रही है, इसीलिए जीवन निर्वाह भत्ता के निर्धारण के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11 (5) के आलोक में वादी को नोटिस निर्गत कर नियमानुसार निर्णय लेना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह०/–

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक :– 08/मु०4–14/2026 931 पटना, दिनांक 7/8/26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मुजफ्फरपुर एवं श्री प्रकाश कुमार सूचनार्थ, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, कमलपुरा, मुजफ्फरपुर, आवासीय पताः–ग्राम+पो०+थाना–वैशाली (नॉर्थ टोला), जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा